



## पेंशन भोगी द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु प्रमाण-पत्र

### 1-जीवित होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पेंशनभोगी श्री ..... धारक  
पी0पी0ओ0 संख्या ..... जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद (केन्द्रीय) के पेंशनर  
बैंक ..... खाता संख्या ..... से पेंशनर आहरित कर रहे  
हैं/रही हैं को स्वयं देखा है और यह कि वह आज की तारीख में जीवित हैं।

स्थान ..... अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... नाम .....  
मुहर .....

### 2- रोजगार रहित होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके/बिना पूर्व अनुमति प्राप्त  
किये वाणिज्यक रोजगार स्वीकार किया।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके /बिना पूर्व अनुमति प्राप्त  
किए भारत सरकार के परिधि के बाहर या किसी भी सरकार के अधीन किसी प्रकार का रोजगार स्वीकार  
किया है/स्वीकार नहीं किया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... पेंशनभोगी का नाम .....

### 3- पुनर्विवाह/अविवाहित होने का प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ/मैंने पिछले एक वर्ष के अन्दर विवाह नहीं किया  
है।

या

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा ऐसा करने पर मैं वित्त अधिकारी  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सूचित करूँगा/करूँगी।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... पेंशनभोगी का नाम .....  
नोट : जो लागू न हो उसे काट दें।

डॉ०/श्री/श्रीमती .....

का जीवित प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

सहायक कुल सचिव (लेखा)

दिनांक